भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाव रोड, देहरादून—248001 दूरभावः 0135—2650809 फैक्स—0135—2653010

ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्याः 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 60 / 2018 / एफ.सी. / 1566

दिनांकः 11/10/2019

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:— जनपद — बागेश्वर में पोथिंग से तोली तक 7.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 है0 वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/23336/2016)

सन्दर्भ:—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 619/FP/UK/ROAD/23336/2016 दिनांक 13-09-2019

महोदय.

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र (EDS) दिनांक 10.06. 2019 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी, जिसमें निम्नलिखित किमयों की पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है:

- 1- It is seen that 3.255 ha area out of 4.287 ha is reserve forest and only few scattered houses are connecting the road. State Government may submit detailed justification of required of the road and submit the population to be benefitted directly from the road with distance of the village from starting point in a tabular form.
- 2- 375 number of trees are mentioned in trees enumeration list which does not involve trees falling in 0-10 and 10-20 dia class. State Government may submit the list of trees including the trees falling in dia class of 0-10 and 10-20 and upload the same at para -4, Part II online.
- 3- State Government may submit the original copy of Part III, IV & V, muck disposal plan and geologist report of the proposal.
- 4- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्राम की स्थिति KML file पर आंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

(सन्नी पोर्यल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

1. अपर संचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाव रोड़, देहरादून।

/ (सन्नी गोयल) तकनीकी अधिकारी (वानिकी)